# न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

## बइजलास–पीयुष समारिया, आई.ए.एस

राजस्व मामला संख्या –95/2021

आर.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2021/155

**प्रार्थी** **बनाम** **अप्रार्थीगण**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) डेगाना

1. जसवन्ती देवी पत्नि मदनलाल
2. नाथूराम पुत्र मदनलाल
3. बजरंगलाल पुत्र मदनलाल ढोली समस्त जाति ढ़ोली निवासी पांचवा तहसील कुचामन सिटी।

उपस्थितिः–

1. प्रार्थी की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।
2. अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं।

**निर्णय** **दिनांक** 06-09-2022

राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत मदनलाल पुत्र मोहनलाल जाति ढ़ोली निवासी पांचवा को उपखण्ड अधिकारी परबतसर द्वारा आदेश कमांक–राजस्व/200 दिनांक 14.04.1987 के द्वारा ग्राम पांचवा के गत खसरा नम्बर 594 रकबा 5 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय जिसके नये खसरा नम्बर 510/388 रकबा 0.04 हैक्टयर का आवंटन निरस्त करने हेतु प्रार्थी द्वारा यह प्रकरण राजस्व मामला प्रस्तुत किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–2 के विरूद्ध आदेशिका दिनांक 04.05.2022, अप्रार्थी संख्या–1 व 3 के विरूद्ध आदेशिका दिनांक 15.06.2022 के अनुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से राजपैरोकार की बहस सुनी गई। राजपैरोकार ने बहस में कथन किया कि ग्राम पांचवा के गत खसरा नम्बर 594 रकबा 5 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय जिसके नये खसरा नम्बर 510/388 रकबा 0.04 हैक्टयर बने है, जो श्री मदनलाल पुत्र मोहनलाल जाति ढ़ोली निवासी पांचवा को उपखण्ड अधिकारी परबतसर के आवंटन आदेश कमांक–राजस्व/200 दिनांक 14.04.1987 के द्वारा आवंटित की गई थी, जिसका नामान्तरकरण संख्या–05 द्वारा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया है। उक्त आवंटन के पश्चात आवंटी व आवंटी के वारिसान द्वारा न तो आवंटित भूमि पर कब्जा किया और न ही आदिनांक तक काश्त की है। इस प्रकार आवंट शर्तों की पालना नहीं की गई है। मदनलाल के कायम मुकामान अप्रार्थीगण जरिये नामान्तकरण संख्या 317 दिनांक 03.01.2008 राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये गये। हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 03.02.21 जो पटवारी पांचवा, भू–अभिलेख निरीक्षक पांचवा द्वारा उपस्थित मौतबिरान सरपंच ग्राम पंचायत पांचवा, वार्ड पंच व अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में तैयार की गई है, के अनुसार राजस्व ग्राम पांचवा के खसरा नम्बर 510/388 रकबा 0.0400 हैक्टयर मौके पर पहूँचे। राजस्व रिकार्ड में बजरंगलाल पुत्र मदनलाल हिस्सा 1/3, नाथूराम पुत्र मदनलाल हिस्सा 1/3, जसवन्ती देवी पत्नी मदनलाल हिस्सा 1/3 के नाम दर्ज है जो कि गैर खातेदार है। खसरा नम्बर 510/388 पर गैर खातेदारों का आज दिनांक तक मौके पर कब्जा नहीं है। मौके पर भूमि खाली पड़ी है। उक्त आवंटित भूमि के संबंध में खसरा गिरदावरी संवत् 2049 से 2064, 2067 से 2069, 2073 से 2076 की नकले पत्रावली पर प्रस्तुत की गई है, जिनके अनुसार भी आंवटी मदनलाल अथवा उसके वारिसान अप्रार्थीगण की काश्त दर्ज नहीं है, इससे स्पष्ट है कि आवंटी एवं अप्रार्थीगण आवंटन की शर्तों के अनुसार न तो मौके पर काबिज है और न ही उसके द्वारा काश्त की जा रही है, का कथन करते हुए राजपैरोकार ने ग्राम पांचवा के गत खसरा नम्बर 594 रकबा 5 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय जिसके नये खसरा नम्बर 510/388 रकबा 0.04 हैक्टयर का मदनलाल पुत्र मोहनलाल को



न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

तत्समय किया गया आवंटन निरस्त कर भूमि राजकीय खाते में दर्ज करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

राजपैरोकार की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पांचवा के गत खसरा नम्बर 594 रकबा 5 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय जिसके नये खसरा नम्बर 510 / 388 रकबा 0.04 हैक्टयर बने, जो श्री मदनलाल पुत्र मोहनलाल जाति ढ़ोली निवासी पांचवा को उपखण्ड अधिकारी परबतसर द्वारा आदेश क्रमांक–राजस्व / 200 दिनांक 14.04.1987 के द्वारा आवंटित की गई थी, जिसका नामान्तरकरण संख्या–05 द्वारा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया है। मदनलाल के कायम मुकामान अप्रार्थीगण जरिये नामान्तकरण संख्या 317 दिनांक 03.01.2008 राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये गये। हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 03.02.21 जो पटवारी पांचवा, भू–अभिलेख निरीक्षक पांचवा द्वारा उपस्थित मौतबिरान सरपंच ग्राम पंचायत पांचवा, वार्ड पंच व अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में तैयार की गई है, के अनुसार राजस्व ग्राम पांचवा के खसरा नम्बर 510 / 388 रकबा 0.0400 हैक्टयर मौके पर पहूँचे। राजस्व रिकार्ड में बजरंगलाल पुत्र मदनलाल हिस्सा 1 / 3, नाथूराम पुत्र मदनलाल हिस्सा 1 / 3, जसवन्ती देवी पत्नी मदनलाल हिस्सा 1 / 3 के नाम दर्ज है जो कि गैर खातेदार है। खसरा नम्बर 510 / 388 पर गैर खातेदारों का आज दिनांक तक मौके पर कब्जा नहीं है। मौके पर भूमि खाली पड़ी है। उक्त आवंटित भूमि के संबंध में खसरा गिरदावरी संवत् 2049 से 2064, 2067 से 2069, 2073 से 2076 की नकले पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिनके अनुसार भी आंवटी मदनलाल अथवा उसके वारिसान अप्रार्थीगण की काश्त दर्ज नहीं है। इस प्रकार मौका रिपोर्ट दिनांक 03.02.21 एवं खसरा गिरदवारी की नकले से स्पष्ट है कि आवंटी एवं अप्रार्थीगण आवंटन की शर्तों के अनुसार न तो मौके पर काबिज है और न ही उसके द्वारा काश्त की जा रही है, जो कि आवंटी / अप्रार्थीगण का आवंटन की शर्तों का उल्लंघन है। इसके अलावा प्रकरण में अप्रार्थीगण का बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं होना, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर उनकी मौन स्वीकृति है। इसलिए प्रार्थी द्वारा ग्राम पांचवा के गत खसरा नम्बर 594 रकबा 5 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय जिसके नये खसरा नम्बर 510 / 388 रकबा 0.04 हैक्टयर का मदनलाल पुत्र मोहनलाल को तत्समय किया गया आवंटन निरस्त कर भूमि राजकीय खाते में दर्ज करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत प्रस्तुत हस्तगत राजस्व मामला आवेदन स्वीकार किया जाता है। ग्राम पांचवा के गत खसरा नम्बर 594 रकबा 5 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय जिसके नये खसरा नम्बर 510 / 388 रकबा 0.04 हैक्टयर का मदनलाल पुत्र मोहनलाल जाति ढ़ोली निवासी पांचवा को उपखण्ड अधिकारी परबतसर द्वारा आदेश क्रमांक–राजस्व / 200 दिनांक 14.04.1987 के द्वारा किया गया आंवटन निरस्त किया जाता है। भूमि की राजस्व रिकार्ड में, आवंटन से पूर्ववत की स्थिति बहाल कर उक्त भूमि राजहक मे ली जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार कुचामनसिटी को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर

नागौर (राजस्थान)